

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 09/01/2021 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर के उ0नि0 मनीष पाल मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र व रात्रि गस्त में काली माता मंदिर चौराहा दौलतपुर में मौजूद थे कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक आटो में बैठकर चार संदिग्ध लड़के चोरी की फिराक में प्रेमचन्द नगर कालोनी में मौजूद है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रेमचन्द नगर कालोनी पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर विजलेन्स आफिस के सामने अंधेरे में खड़े आटो रिकशा के पास पहुँचकर घेराबन्दी कर आटो रिकशा में बैठे चार लड़को को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 01 अदद रिंच नट बोल्ट कसने व खोलने वाला तथा आटो रिकशा के अन्दर से 02 अदद बैट्री बरामद हुई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमलोग इसी आटो रिकशा में बैठकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर घूमकर ई-रिकशा की बैट्री चोरी करते हैं, जिसे हमलोगों के पहचान का एक व्यक्ति हिमांशु गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता निवासी म0नं0 S9/6826 नई बस्ती पान्डेयपुर थाना लालपुर पान्डेयपुर वाराणसी है, को बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसे अपने ऐशों आराम में खर्च कर देते हैं। हमलोग विभिन्न स्थानों से 08 ई-रिकशा की बैट्री चोरी करके हिमांशु गुप्ता की दुकान में रखे हैं जो अभी बिका नहीं हैं आपलोग चले तो बरामद करा सकते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण की निशादेही पर हिमांशु गुप्ता को पकड़ लिया गया तथा हिमांशु गुप्ता की दुकान से 08 अन्य चोरी की बैट्री बरामद किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण विशाल कुमार सोनकर, हिमांशु गुप्ता व 03 नफर अपचारी को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\*-**

- विशाल कुमार सोनकर पुत्र पप्पु लाल सोनकर निवासी म0न0 21/36 मलीन बस्ती पंचकोशी चौराहा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।
- हिमांशु गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता निवासी म0नं0 S9/6826 नई बस्ती पान्डेयपुर थाना लालपुर पान्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष।
- 03 नफर अपचारी अभियुक्तगण।

**\*बरामदगी का विवरण\*-**

- 10 अदद चोरी की ई-रिकशा बैट्री विभिन्न कम्पनियों की।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*-**

- उ0नि0 मनीष पाल, उ0नि0 राहुल रंजन चौकी प्रभारी पहड़िया, उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर, उ0नि0 राकेश कुमार सिंह, का0 देवमणि त्रिपाठी व हे0का0 दिनेश राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



**\*प्रेस नोट\***

**\*पेटीएम के माध्यम से साइबर अपराध करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार,**

**अदद मोबाइल बरामद 02 व .एम.टी.अदद ए 06\***

दिनांक 19.10.2020 को वादी श्री महावीर बाबूनन्दन जैसवार पुत्र स्वबाबूनन्दन निवासी .-ग्राम-खुटहां, पोस्टकैथोर-, थाना-चोलापुर, वाराणसी द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी गयी कि मेरे बैंक खाते से मेरी जानकारी के बिना दिनांक 31/01/31 से 2020/08/ तक कई बार में 2020कुल 3,14, रुपये 000 अवैध रूप से साइबर अपराधियों ने गायब कर दिया है। प्राप्त सूचना पर साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0-0006/2020 धारा -419/420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

उपरोक्त प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम लखनऊ, पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री विजय मीणा, पुलिस उपमहानिरीक्षकवरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक वाराणसी श्री अमित पाठक, सक्षेत्राधिकारी कै./अ.पु.ण्टनोडल अध/ िकारी साइबर क्राइम श्री अभिमन्यु मांगलिक द्वारा साक्ष्य संकलनअनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया/, जिसके अनुपालन में संकलित साक्ष्यों से अनावरण के उपरान्त अभियुक्त अश्वनी कुमार उर्फ छोटू पुत्र गुलाब राम निवासी खुटहां, पोस्ट-कैथोर थाना चोलापुर, वाराणसी का नाम प्रकाश में आया, जिसे दिनांक 08.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना राहुल शुक्ला द्वारा मय हमराह पुलिस बल के दानगंज बाईपास के पास से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अश्वनी कुमार उर्फ छोटू द्वारा बताया गया कि मैंने अपने भाई अनिकेत के साथ मिलकर अवैध धन की निकासी किया था। अभियुक्त से अनिकेत के बारे में पूछने पर बताया कि वह दानगंज बाजार में ही युनियन बैंक के पास उठता बैठता है वहीं पर मिल सकता है। प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त अश्वनी उपरोक्त के बताये स्थान पर पहुँचकर अनिकेत कुमार उर्फ गोलू पुत्र गुलाब राम निवासी खुटहां थाना चोलापुर, वाराणसी को समय करीब 19 .30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*अपराध का तरीका\*:-**

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अश्वनी उर्फ छोटू उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरा मोबाइल नम्बर है जिससे मैं पेटीएम एकाउन्ट बनाकर उपयोग करता हूँ 8400659909। मैंने अपने बड़े भाई अनिकेत कुमार उर्फ गोलू के कहने पर अपने गांव के रहने वाले महावीर बाबूनन्दन जैसवार जो मेरे बगल में ही रहते हैं, चूकि महावीर बाबूनन्दन बुजूर्ग हैं और युनियन बैंक आफ इण्डिया में दो खाता हैं इसलिए बैंक ले जाकर पैसा निकालने में उनका मदद करते थे साथ ही किसी दूसरे से बात करना होता था तो नंबर लगा देते थे इसी बीच मौका पाकर धोखे से उनके दोनों खातों का विवरण व एकार्ड नंबर प् .एम.टी.राप्त कर लिया और मैंने अपने पेटीएम एकाउन्ट से लिंक कर लिया और जबजब बैंक लेकर मैं-ं या मेरा भाई जाते थे तो ओआने के नाम पर मोबाइल लेता था .पी.टी. और पैसा पेटीएम खाते में ट्रांसफर कर लिया जाता था और जब फोन लगाने को हमलोगों को कहते थे तब उसी ट.दौरान पेटीएम का ओीप्राप्त कर पैसा अपने पेटीएम एकाउन्ट में ट्रांसफर कर लेते थे। .पी. महावीर से खाते से कई महीने से थोड़ाथोड़ा करके पैसा निकालते रहे जिसे मैं- अपने व अपने भाई अनिकेत के खाते में ट्रांसफर करके कैश निकाल लेते था इसके अतिरिक्त मेरे घर के सामने ईट भट्टे पर चौकीदारी करने वाले अर्जुन पुत्र स्व0 रामजीत का मोबाइल फोन धोखे से प्राप्त कर उसके मो .न.6389943095 से PAYTM एकाउन्ट बनाकर महावीर के खाते से लिंक कर मैंने कई बार पैसा निकाला है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\*:-**

1. अश्वनी कुमार उर्फ छोटू पुत्र गुलाब राम निवासी खुटहां थाना चोलापुर वाराणसी उम्र वर्ष। 21

2. अनिकेत कुमार उर्फ गोलू पुत्र गुलाब राम निवासी खुटहां थाना चोलापुर वाराणसी उम्र वर्ष । 24

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. अभियुक्त अश्वनी कुमार उपरोक्त के खाते में फ्रीज कराया गया धनराशि -91,290.रूपये । 22

2. अदद मोबा 02इल फोन ।

3. युनियन बैंक आफ इण्डिया । -कार्ड.एम.टी.अदद ए 04

4. एक्सिस बैंक । -कार्ड.एम.टी.अदद ए 01

5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया । -कार्ड.एम.टी.अदद ए 01

**\*पंजीकृत अभियोग\*---**

➤ मु0अ0सं0-0006/2020 धारा 419/एक्ट थाना साइबर क्राइम पुलिस .टी.डी आई 66 भादवि व 420  
थानावाराणसी ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम \*-**

➤ प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना-राहुल शुक्ला, उ0नि0 सुनील कुमार यादव, क0आ0 ग्रेडए -  
श्याम लाल गुप्ता, का0 अवनीश सिंह व एच0जी0 चालक मनोज कुमार राजभर साइबर क्राइम पुलिस  
थाना वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19.12.2020 को थाना चोलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-541/2020 धारा-363/366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु उच्चाधिकारीगण से प्राप्त आदेश के अनुपालन में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी /साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियुक्त राजेश कुशवाहा पुत्र बाबू लाल कुशवाहा ग्राम बान्डी थाना नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अपहृता/पीड़िता बरामद हुई। आज दिनांक 09-01-2021 को अभियुक्त राजेश कुशवाहा उपरोक्त को नियमानुसार थाना चोलापुर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-

- राजेश कुशवाहा पुत्र बाबू लाल कुशवाहा निवासी ग्राम बान्डी थाना नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश उम्र करीब-21 वर्ष।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*-

- उ0नि0 श्री हर्ष कुमार सिंह भदौरिया, का0 प्रदीप यादव व म0का0 लक्ष्मी यादव थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-  
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 39/2021

दिनांक: जनवरी, 09/2021

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*‘मिशन शक्ति’\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 192 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5801 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 754 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 167 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1462 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 शोहदों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही एवं 135 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-  
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 40/2021

दिनांक: जनवरी, 09/2021

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 09.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 29 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 498 व्यक्तियों से रु0-17,400/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1016 वाहनों का चालान, 14 वाहनों को सीज तथा 44 वाहनों से रु0-36,600/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।